तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
31.03.2022	पत्रावली पेश हुई सायलान ने अपनी बहस में निवेदन किया की रोही मोजा चक 3 आरएमएस के खाता संख्या 22 / 22 की कुल 3.2384हैव भूमि में से 1 / 6 हिस्सा , राही मोजा चक 2 आरएमएस के खाता संख्या 36 / 33 की कुल 2.2770हैव भूमि में से 1 / 6 हिस्सा व राही मोजा 16 जेएसएन के खाता संख्या 25 / 130 की कुल 8.0960हैव में से 1 / 6 हिस्सा भूमि गैरसायल सख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पैतृक सम्पति है जिसमें सायल क्योकि उक्त भूमि उनके दादा चेतराम पुत्र जीराम के देहान्त होने पर विरासतन से गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है। पैतृक सम्पति में सायलान एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का गैरसायल संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है। गैरसायल संख्या 1 वाद भूमि को बेचान करने का विचार कर रहा है इसलिये सायलान गैरसायल सख्या 1 को पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि वह वाद भूमि को वाद के निस्तारण तक रहन बेय नही करे। सायलान की बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की वाद भूमि पैतृक है या नही जिसमें सायलान किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है अथवा नही प्रार्थना पत्र यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है। प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार है गैरसायल संख्या 1 का वाद भूमि विरासतन से प्राप्त होनी प्रतीत होती है जो वाद में साक्ष्य सबुतो के आधार पर तय होगी। वाद भूमि पैतृक है या नही यदि वाद भूमि पैतृक है तो सायलान का वाद भूमि में कितना हक हिस्सा होगा यह तथ्य वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायल के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार है जो कभी भी वाद भूमि को रहन बैंय कर सकता है जिससे सायलान का अपूर्णीय क्षति हो सकती है इसलिये जब तक वाद में सायलान के हकों का निर्धारण नही हो जाता तब तक वाद भूमि की यथास्थिति बनाई रखी जानी उचित है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 29.03.2019 को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है । व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे । निर्णय आज दिनांक 31/3/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी नोहर	

Scanned with CamScanner